

१६ सुरेश ५८ काम कर कडि० नरेंद्र
दस्ता सं. १२४/५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>गजाल ५.१५</p>	<p>खारोदार कारमेज में कहर के दौरान बाड़ी के विडान इमिभाषक ने कहा कि मैंने पर सडक का कच्चा कार्य शुरू हो चुका है और भी मही खारोदारी शुरू से शुरू नहीं उठने/ उठने तक मैं इन्फो के विडान इमिभाषक ने कहा कि नरेगा योजना में रास्ते में सेवल सडक का निर्माण शुरु हो चुका है, दवा चलने मोजब नहीं है। उक्त विवेचना अनुसार सडक कार्य शुरू हो जाता दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। अतः उक्त प्रत्येक को स्वयं निवेदन से बाबंद किया जाने का कोई कारण ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि सडक भी रास्ते में डालने पर ही न कि बाड़ी को खारोदारी शुरू से। अतः दवा छिड़ी मोजब नहीं माना जाता है।</p> <p align="center">अतः आदेश है कि - दवा बाड़ी खारोदारी किया जाता है स्वयं परकारान कचना २ बहन के। इसी प्रकार पंचां डिकी जाये है।</p> <p align="center">३ (हरिनारायण आरिडियर)</p> <p>निर्णय अज दिनांक ३.५.१५ को तल्लिवापा - जाल बुल्ले - मापालुप में सुनाया गया। पत्रावली दालिल दफ्तार है।</p> <p align="center">३ (हरिनारायण आरिडियर)</p> <p align="center">उपरवण्ड अधिकारी गजाल (भरतपुर) राज०</p>	